




—:: आदेश ::—

रायपुर, दिनांक 19/11/2020

क्रमांक एफ 1-6/2020/रास/यू-15 :: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अनुसुईया उइके, कुलाधिपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) एतद् द्वारा प्रो. डॉ. ललित प्रकाश पटेरिया, प्राध्यापक (मैनेजमेंट स्टडीज), गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर को शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का प्रथम कुलपति नियुक्त करती हूँ ।

2/. प्रो. डॉ. ललित प्रकाश पटेरिया का कार्यकाल, उपलब्धियाँ तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होंगी ।


(अनुसुईया उइके)

कुलाधिपति
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय,
रायगढ़ (छ.ग.)


// 2 //

पृष्ठां. क्रमांक एफ 1-6/2020/रास/यू-15

रायपुर, दिनांक : 19/11/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. प्रो. डॉ. ललित प्रकाश पटेरिया, प्राध्यापक (मैनेजमेंट स्टडीज), गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) - 495 001.
5. कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
6. कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
7. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, रायपुर की ओर उक्त अधिसूचना असाधारण राजपत्र दिनांक 19/11/2020 में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।


(रोक्तिमा यादव)
राज्यपाल के उप सचिव
छत्तीसगढ़